फर्म अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत ....मुकाम ....
संगीता बनाम रोशन सिंह
किस्म मुकदमा......212 RTA......................नम्बर.......................................सन्......................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.03.2022	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के तहत सायल की ओर से पेश किया । दफ्तर से रिपोर्ट कराई गयी। प्रार्थना पत्र पर सायल के वकील को सुना गया एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैर सायलान दिनांक 07.04.2022 तक जारी की जाकर गैर सायलान को पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 151, रकवा 1–2267 हैक्टे. 152 रकवा 3–3260 हैक्टे. 237 रकवा 0–0126 हैक्टे. 242 रकवा 0–1318 हैक्टे. 234 रकवा 3415 हैक्टे. 240 रकवा 0–1770 हैक्टे. बांके ग्राम शेखपुर ब्राहमण तहसील राजाखेडा को दिनांक 07.04. 2022 तक रिकार्ड एंव मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। यदि इस आदेश के लागू रखे जाने में गैर सायलान को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 07.04.2022 को उपस्थित होकर न्यायालय में आपत्ति पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 07.04.2022 को पेश हो।	
7/4/22	पत्रावली पेश हुई। गैर-सायलान के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए है। पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी दिनांक 8-6-22 को पेश हो।	संगीता

पुनश्च,
इतना लिखने के पश्चात मूल वादपत्र में वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर वाद खारिज करवा लिया है अतः यह प्र.प. 212 RTA मूल वाद पत्र की रोशनी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। रीना

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)